



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम खल्ला थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना चुर्खी में मु०अ०सं० 43/21 (वाद संख्या- 47/21) धारा 376 ए बी/511 भादवि एवं 18/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.09.2023 को एडीजे पॉक्सो द्वितीय उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त को धारा 354 ख भादवि एवं धारा 9प/10 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 14.04.2021 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 02 वर्ष 06 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल श्री बृजराज सिंह राजपूत



कोर्ट पैरोकार कमल किशोर सिंह

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice